

## मांग सूचना पत्र



बनाम

दिनांक :-15-Feb-23

Ref. No. : 5443049/DN/2022



IMTIYAZ KHAN C/O SALIM KHAN

BORROWER

101 JANSAPURA TALAI JHUGI JHOODI MOULANA AZAD MARG UJJAIN 636, NEAR  
SULABH COMPLEX, Ujjain Ujjain - 456001. Madhya Pradesh

38

महोदय / महोदया,

आपको एसके फाइनेंस लि. (पूर्व नाम एस. के. फिनकोर्प लि.) कार्यालय जी-1,जी-2 न्यू मार्केट खासा कोठी सर्किल जयपुर के ओर से नोटिस निम्न प्रकार प्रेषित है :-

1. यह कि आपके द्वारा ऋण अनुबन्ध संख्या 5443049 दिनांक 28/01/2020 के तहत एसके फाइनेंस लि- से 360000/- रुपये की ऋण राशि अपने वाहन 11.10\_Eicher\_COMM\_VEH जिसका पंजीकरण संख्या HR566690 है,पर प्राप्त किया है। यह कि ऋण अनुबन्ध की सहमत नियम और शर्तोंनुसार, उक्त ऋण की अदायगी आपके द्वारा 11343/- रुपये की 56 नियमित मासिक /स्ट्रक्चर्ड किश्तों में की जानी थी ।
2. यह कि आपके अनुरोध पर ,माननीय आर.बी.आई के निर्देशनुसार, कम्पनी के द्वारा आपको 3 महिनों की मोरेटोरियम सुविधा प्रदान की गयी थी । अतः आपकी ऋण राशि अदा करने की समयावधि में वृद्धि हो गई है। 19784/-रुपये की मोरेटोरियम कार्यकाल की ब्याज राशि को समायोजित कर कुल वित्तिय सुविधा 379784/-रुपये हो गयी थी ।
3. यह कि आपके द्वारा किश्तों की नियमित अदायगी नहीं की गई है। अतः इस नोटिस द्वारा आपको सूचित किया जाता हैं कि आप कि इस नोटिस को जारी करने की दिनांक तक की बकाया राशि 33957 /-रुपये एवं एग्रीमेन्ट अनुसार अन्य राशियों का भुगतान कर दें और रसीद प्राप्त कर लें।

अतः आपको नोटिस के जरिये सूचित किया जाता हैं कि इस नोटिस की प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर आपके द्वारा देय किश्त की राशि का भुगतान नहीं किया जाता हैं तो आपके विरुद्ध एसके फाइनेंस लि. कम्पनी द्वारा वाहन को कब्जे में लेने सहित कम्पनी किये एग्रीमेन्ट अनुबन्ध के अनुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी । जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।

अतः आप सूचित रहे।

भवदीय

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

एसके फाइनेंस लि (पूर्व नाम एस. के. फिनकोर्प लि.)  
(जी-1 एवं जी-2, न्यू मार्केट खासा, कोठी सर्किल जयपुर। 302001)

नोट-यदि आपके द्वारा मासिक किश्त की अदायगी कर दी गयी है तो उक्त नोटिस की हिदायते आप पर लागू नहीं है।